(7)

(11)

संख्या:-4942-/III(2)/11-30(एम0एल0ए0)/2011

प्रेषक,

महिमा,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 10 अक्टूबर, 2011

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-धूमाकोट के अन्तर्गत विभिन्न 05 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-धूमाकोट के अन्तर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये 05 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 251.80 लाख (₹ दो करोड इक्यावन लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर अंकित विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रत्येक कार्य हेतु ₹ 0.25 लाख अर्थात कुल 05 कार्यों हेतु ₹ 1.25 लाख (₹ एक लाख पच्चीस हजार मात्र) को व्यय करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

फोटो प्रति सत्यापित। 15.10.11

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
बैजरो-गढ़वाल

(8)

(2) (3) 1745 4mg 31-10-11

-3-

शा0 संख्या-4842(1)/III(2)/11-30(एम0एल0ए0)/2011 दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख ₹ में)
01	02	04	05	06
01	जनपद पौड़ी गढवाल के विकास खण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत सीन्धी बामसू-अन्दरोली मोटर मार्ग का निर्माण।	4.00	50.32	0.25
02	जनपद पौड़ी गढवाल के विकास खण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत बयेला मल्ला-सिखाण कारखाल भयांसू मोटर मार्ग का निर्माण।	6.00	75.48	0.25
03	जनपद पौड़ी गढवाल के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग स0-121 स्थित खोली के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग स0-121 स्थित खोली खन्दक तोक से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री मस्तराम सुन्दियाल के पैतृक गांव पतगांव तक सड़क का निर्माण।	4.00	50.40	0.25
04	जनपद पौड़ी गढवाल के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत राश्ट्रीय राजमार्ग सं0-121 स्थित ढकरीखाल तोक से कसाना बिचला होते हुए चौकीखाल तक सड़क का निर्माण कार्य।	2.00	25.20	0.25
05	जनपद पौड़ी गढवाल के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत अपोला गांव से अपोलासेरा-बेलम तक सड़क मार्ग निर्माण।	4.00	50.40	0.25
	योग:-	20.00	251.80	1.25

(कुल ₹ एक लाख पच्चीस हजार मात्र)

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
12वां वृत्त लो0नि0वि0
पौड़ी गढ़वाल

(महिमा)
अनु सचिव

पृ0सं0 3683/14 [illegible] दिनांक
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 [illegible] को [illegible] आवश्यक हेतु प्रेषित।

फोटो प्रति सत्यापित

अधीक्षण अभियन्ता
12वां वृत्त लो0नि0वि0
पौड़ी गढ़वाल

सहायक अभियन्ता (अ)
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बेजरों-गढ़वाल

पत्रांक 2249/4mg दिनांक 3/11/11
प्रतिलिपि क० अभि० (प्रा०) / सहा० अभियन्ता (ढकाली) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
[illegible]